

सख्या-शिक्षा-एच(21)ए(1)डीएस-16/2019-सामान्य निर्देश  
निदेशालय (उच्चतर शिक्षा),  
हिमाचल प्रदेश।  
दिनांक शिमला-171001

जुलाई, 2020

प्रेषक:-

निदेशक (उच्चतर शिक्षा)  
हिमाचल प्रदेश शिमला-1

09 JUL 2020

प्रेषित

समस्त प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक,  
निजी स्कूल हिमाचल प्रदेश।

विषय:-

निजी स्कूलों द्वारा मनमानी पूर्वक बढ़ाई गई ट्यूशन फीस व अन्य चार्जेज वसूल करने तथा बच्चों की ऑनलाइन कक्षाएं बन्द करने बारे।

ज्ञापन

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में छात्र अभिभावक मंच के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि अधिकतर निजी स्कूलों की बढ़ाई गई मनमानी फीस जमा न करवाने वाले अभिभावकों को स्कूल प्रबन्धन द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। स्कूल अभिभावकों को उनके द्वारा निर्धारित मनमानी फीस जमा करवाने के लिए दबाव बना रहे हैं। कई स्कूलों ने ट्यूशन फीस के अतिरिक्त अन्य चार्जेज जमा न करने पर बच्चों की ऑनलाइन कक्षाएं बंद कर दी हैं। इन बच्चों को छात्रों के लिए बनाये गये स्टडी ग्रुप से बाहर कर दिया गया है। अभिभावकों को बार-बार फीस जमा करने के लिए मैसेज भेज कर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। इन फीसों में सभी तरह के चार्जेज को ट्यूशन फीस में समाहित कर दिया गया है व ट्यूशन फीस के मुकाबले तीन गुणा ज्यादा तक फीस जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है।

उक्त सन्दर्भ में जैसा कि इस निदेशालय द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार से जारी निर्देशानुसार पत्र दिनांक 27.05.2020 व 10.06.2020 के अन्तर्गत समस्त निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस के अतिरिक्त अभिभावकों से किसी भी प्रकार की फीस न वसूल करने, ट्यूशन फीस त्रैमासिक आधार पर जमा न करके केवल मासिक आधार पर एकत्र करने, शिक्षण शुल्क केवल उन वर्गों से लेने जिन्हें ऑनलाइन शिक्षण सामग्री/कक्षाएं प्रदान की गई हैं, ट्यूशन फीस में कोई वृद्धि न करने और ट्यूशन शुल्क में किसी भी अन्य शुल्क/छिमे हुए शुल्क को नहीं जोड़ने, लॉकडाउन की अवधि के दौरान परिवहन शुल्क न लेने, किसी भी छात्र को लॉकडाउन के कारण वित्तीय संकट के कारण शुल्क का भुगतान न करने पर ऑनलाइन कक्षाओं/पठन सामग्री से वंचित न करने, किसी अभिभावक द्वारा लॉकडाउन अवधि के दौरान ट्यूशन फीस जमा न करने की स्थिति में जुर्माना न लगाने और छात्रों का नाम स्कूल रोल से नहीं हटाये जाने के सन्दर्भ में निर्देश दिये गये थे। छात्र अभिभावक मंच द्वारा विभाग को दिनांक 19.06.2020 को दिये गये ज्ञापन के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी के ध्यान में लाया गया है कि अधिकतर निजी स्कूलों द्वारा विभाग द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना नहीं की जा रही है।

अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि आप इस निदेशालय द्वारा दिनांक 27.05.20 व 10.06.2020 को जारी निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करें।

- ❖ ट्यूशन फीस में एनुअल चार्ज, मिसलेनियस चार्ज, कम्प्यूटर फीस, स्पोर्ट्स फीस, स्मार्ट क्लास रूम चार्ज, कोचरज चार्ज आदि-आदि को न जोड़कर ट्यूशन फीस में किसी भी प्रकार से वृद्धि न कर ट्यूशन फीस केवल शैक्षणिक सत्र 2019 में ली गई ट्यूशन फीस की तर्ज पर ही ली जाये।
- ❖ मोबाइल के माध्यम से होम वर्क व ऑनलाइन पढ़ाई करवाने वाले स्कूलों को वर्ष 2019 की तर्ज पर केवल ट्यूशन फीस मासिक आधार पर ही ली जाये।

उक्त आदेशों की अवहेलना करने वाले स्कूलों के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जायेगी जिसके लिए स्कूल प्रबन्धन स्वयं उत्तरदायी होगा।

निदेशक (उच्चतर शिक्षा)  
हिमाचल प्रदेश शिमला-1  
जुलाई, 2020

पृष्ठांकन संख्या सम दिनांक शिमला- 171001.  
प्रतिलिपि:-

1. समस्त उपनिदेशक उच्चतर शिक्षा, हिमाचल प्रदेश को निर्देश दिये जाते हैं कि निजी स्कूलों से उक्त निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाये तथा दोषी स्कूलों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही अमल में लाये व कृत कार्यवाही की रिपोर्ट इस निदेशालय को भी प्रेषित करें।
2. अधीक्षक कम्प्यूटर शाखा, शिक्षा निदेशालय उच्चतर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
3. रक्षक नॉस्ट।

Endst No' 786 Even Dated-13-7-20  
EPH-U-(A-D) / Private School /  
Office of the Dy. Director Hr. Education, Una  
Forwarded in original to all the Principals/Headmaster of the  
Private SS/High School in Una Distt for strict Compliance.  
Strict action will be taken against the defaulters and concerned  
School will be personally held responsible for any irregularities.

Dy. Director Hr. Education  
Una Distt Una (H.P)